न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूँगरपुर

(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 3/2024 | दायर दिनांक 19.01.2024
जीसीएमएस नं. 2024/3 | निर्णय दिनांक 30.04.2025

1.सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार साबला जिला डूंगरपुर

– अपीलाण्ट

बनाम

1.श्रीमती जसु कुंवर पत्नी श्री लक्ष्मण सिंह राजपुत निवासी गौठडा तहसील साबला, जिला डूंगरपुर

– रेस्पोडेण्ट्स

अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970

उपस्थित – 1.राजकीय पेरोकार – अपीलाण्ट
2.श्री दिनेश चन्द्र चौबीसा, अधिवक्ता – रेस्पोडेण्ट्स

–:निर्णय:– **दिनांक –30.04.2025**

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार साबला द्वारा इस आशय का अपील प्रार्थना पत्र पेश किया कि मौजा गौठडा के खसरा नम्बर 2515/2060 रकबा 0.1618 है0, खसरा नम्बर 2520/1114 रकबा 0.1618 है0 एवं खसरा नम्बर 2507/1146 रकबा 0.0809 है0 भूमि जरिये मिसल नंबर 1528 दिनांक 16.12.2021 को विपक्षी श्रीमती जसुँ कुंवर पत्नी श्री विजय सिंह राजपुत निवासी गौठडा तहसील साबला को प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2021 केम्प स्थल ग्राम पंचायत झरीयाणा में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित की गई थी। उक्त भूमि पर आवंटन के पश्चात आवंटन की शर्तो की पालना नही की गई एवं न ही मौके पर आदिनांक तक कब्जा है, उक्त भूमि गैर खातेदार दर्ज होकर

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर